न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – **83/2006/75 एलआर एक्ट**

दुलीचंद पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर।

–– अपीलांट

बनाम

1. मन्शाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी खेदासरी तहसील रावतसर (फौत)

1/1 कलावती पत्नि मन्शाराम जाति जाट निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/2 सन्तोष देवी पुत्री मन्शाराम जाति जाट निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/3 अल्का पुत्री मन्शाराम जाति जाट निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/4 शिशपाल पुत्र मन्शाराम जाति जाट निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/5 नूरादेवी पुत्री मन्शाराम (फौत)।

1/5/1 मुकेश पुत्र स्व. नूरादेवी पुत्री मन्शाराम जाति जाट निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/5/2 मोनिका पुत्री स्व. नूरादेवी पुत्री मन्शाराम जाति जाट निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 21.02.2006 सहायक कलैक्टर रावतसर

अनवानी टीसी आवंटन पत्रावली मन्शाराम पुत्र भूराराम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 2

निर्णय दिनांकः–07.09.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने तहसीलदार के यहां प्रार्थना पत्र बाबत राजकीय भूमि आवंटन पेश किया जिस पर तहसीलदार द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मय रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन कमेटी के निर्णय के अनुसार वादग्रस्त भूमि खेदासरी बारानी का खसरा नं. 51/9.12,

52/15.00 कुल 24.10 बीघा भूमि को टीसी से पुख्ता आवंटन किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि विवादित भूमि पर अपीलांट का लगभग 30 वर्षो से अधिक से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांट विवादित भूमि पर 1995 से पूर्व का कब्जा होने से आवंटन कराने व कब्जा नियमन करने का अधिकारी है। इसलिये अपीलांट पीड़ित पक्षकार है। गांव खेदासरी के खसरा नं. 52 की 15.00 बीघा (हाल 424/52) की भूमि अपीलांट के कब्जे मे चली आ रही है जिसमे से खसरा नं. 52 की 15.00 बीघा भूमि रेस्पो. को विधि विरूद्ध अपीलांट को बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये आवंटन की गई है जो विधिक प्रावधानो के विपरीत है। विवादित भूमि का आवंटन रेस्पो0 सं. 1 को टीसी से पुख्ता किया जाना अंकित किया है जबकि खसरा नं. 52 की 15.00 बीघा भूमि पर अपीलांट का हमेशा से कब्जा रहा है। इसलिये विवादित भूमि आवंटन के लिऐ उपलब्ध भी नही थी परन्तु रेस्पो0 सं. 1 स्वर्ण जाति के प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण विवादित भूमि को रिकार्ड मे अपने नाम टीसी अंकित करवा कर अपीलाधीन निर्णय से पुख्ता आवंटित करवाई गई। रेस्पो0 विवादित भूमि के आवंटन का पात्र नही था। विवादित भूमि पर कब्जा के संबंध मे शपथ पत्र कृष्ण पुत्र मुंशीराम, मनीराम पुत्र मोटाराम, लिछमणसिंह उर्फ लिच्छुसिंह पुत्र मलेसिंह प्रस्तुत है जिससे अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर पिछले 40 वर्षो से कब्जा होना सिद्ध है तथा वर्तमान मे भी कब्जा अपीलांट का होना साबित है। अपीलाधीन निर्णय कतई एकपक्षीय अपीलांट को बिना सुने विधि विरूद्ध पारित किया गया है जिसका सर्वप्रथम ज्ञान अपीलांट को दिनांक 05.08.06 को विवादित भूमि को रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अपने हक मे आवंटित करवा लेने का जिक्र करने एवं कब्जा छोड़ने का कहने पर हुआ जिस पर अपीलांट अपने रावतसर स्थित अभिभाषक से सम्पर्क करने पर उन द्वारा जमाबंदी की नकल व आवंटन आदेशो की नकल आवश्यकता होना कहते हुए अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को 21.08.06 तक नकल प्राप्त होने के बाद ही आगामी राय देने कहा एवं अपीलांट को दिनांक 21.08.06 को आने का कहां। नकले प्राप्त होने के उपरांत ज्ञान दिनांक 05.08.06 से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई जिसमे अपील प्रस्तुति मे हुई को माफ किया जाकर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावें। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1995 पेज 649 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 को गांव खेदासरी के खसरा नं. 51 मे 9.12 बीघा व खसरा नं. 52 मे 15.00 बीघा कुल 24.12 बीघा बारानी भूमि अस्थाई काश्त टीसी पर आवंटन की गई जो लगातार रेस्पो0 को नवीनीकरण होती रही व बतौर टीसी धारक रेस्पो0 के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज होती रही है। रेस्पो0 द्वारा उक्त अस्थाई आवंटन को स्थाई आवंटन बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण आवंटन कमेटी के समक्ष रखा जाकर आवंटन कमेटी के निर्णय के अनुसार खेदासरी बारानी का खसरा नं. 51/9.12, 52/15.00 कुल 24.10 बीघा भूमि को टीसी से पुख्ता आवंटन निर्धारित दर पर किया गया जो सही है। अपीलांट द्वारा बिना किसी के आधार के अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त मे चली आ रही है और वर्तमान मे अपीलांट के कब्जा काश्त मे है परन्तु कब्जा के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही है जिससे वादग्रस्त भूमि अपीलांट के कब्जे होना सिद्ध नही है। जबकि रेस्पो0 द्वारा अपने कब्जा एवं अपने नाम बतौर टीसी आवंटन होने संबंधी तथा टीसी नवीनीकरण संबंधी दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत किये गये है। वादग्रस्त भूमि मन्शाराम को बतौर टीसी आवंटन थी तथा टीसी से पुख्ता आवंटन बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर टीसी से पुख्ता आवंटन की गई है। अपीलाधीन निर्णय सही एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलांट का तर्क है कि ''विवादित भूमि पर अपीलांट का लगभग 30 वर्षो से अधिक से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांट विवादित भूमि पर 1995 से पूर्व का कब्जा होने से आवंटन कराने व कब्जा नियमन करने का अधिकारी है। इसलिये अपीलांट पीड़ित पक्षकार है। गांव खेदासरी के खसरा नं. 52 की 15.00 बीघा (हाल 424/52) की भूमि अपीलांट के कब्जे मे चली आ रही है जिसमे से खसरा नं. 52 की 15.00 बीघा भूमि रेस्पो. को विधि विरूद्ध अपीलांट को बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये आवंटन की गई है जो विधिक प्रावधानो के विपरीत है। विवादित भूमि का आवंटन रेस्पो0 सं. 1 को टीसी से पुख्ता किया जाना अंकित किया है जबकि खसरा नं. 52 की 15.00 बीघा भूमि पर अपीलांट का हमेशा से कब्जा रहा है। इसलिये विवादित भूमि आवंटन के लिऐ उपलब्ध भी नही थी'' परन्तु अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि अपने कब्जा होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया तथा ना ही वादगस्त भूमि के संबंध मे राजस्थान उपनिवेशन (1955 के पश्चात के अस्थाई कृषि पट्टा धारको को एवं अन्य भूमिहीन व्यक्तियो को राजस्थान नहर योजना क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन) नियम 1971 के नियम 22 के तहत कार्यवाही होने संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि रेस्पो0 सं. 1 को गांव खेदासरी के खसरा नं. 51 मे 9.12 बीघा व खसरा नं. 52 मे 15.00 बीघा कुल 24.12 बीघा बारानी भूमि अस्थाई काश्त टीसी पर आवंटन की गई जो लगातार रेस्पो0 को नवीनीकरण होती रही व बतौर टीसी धारक रेस्पो0 के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज होती रही है। रेस्पो0 द्वारा उक्त अस्थाई आवंटन को स्थाई आवंटन बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये प्रकरण आवंटन कमेटी के समक्ष रखा जाकर आवंटन कमेटी के निर्णय के अनुसार खेदासरी बारानी का खसरा नं. 51/9.12,

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

52/15.00 कुल 24.10 बीघा भूमि को टीसी से पुख्ता आवंटन निर्धारित दर पर किया गया जिसमे किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि प्रकट नही होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.02.2006 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official